



फार्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }  
Form III { see Regulation 7 (1) D (d) }

## भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस  
LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

(रॉड वूर एक्रेडिटेटी, नीदरलैण्डस द्वारा प्रत्यायित)  
(Accredited by Raad voor Accreditatie, Netherlands)

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएमएससी/एल - 8002038  
Licence No. CRO/QMSC/L-8002038

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो  
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby grants/renews to

मैसर्स नैशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं  
डैवलपमेंट कारपोरेशन,  
बी - 2, पहली मंजिल, ग्रेटर कैलाश एनक्लेव  
भाग - II, (सावित्री क्रॉसिंग)  
नई दिल्ली 110048

M/s National Safai Karamcharis Finance  
and Development Corpn.,  
B-2, 1<sup>st</sup> Floor, Greater Kailash Enclave,  
Part II (Savitri Crossing),  
New Delhi - 110048

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, IS/ISO 9001:2000 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।


(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services of process particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with IS/ISO 9001:2000.

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 01 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2011 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।  
This licence shall be valid from 01 January 2009 to 31 December 2011 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2009 के जनवरी माह के चौथे दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित  
Signed, Sealed and Dated this Fourth day of January 2009

  
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

